

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या-03/स्था0 रा0अ0 हाजीपुर (स्थानान्तरण)-26/16-388(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-02-09-16

बिहार राजस्व सेवा के सुश्री रश्मि तिवारी, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय हाजीपुर सदर, वैशाली को प्रशासनिक हित में अपने ही वेतनमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय) में प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पदों के विरुद्ध अगले आदेश तक के लिए स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा।
3. समाहर्ता, वैशाली सुश्री तिवारी, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, हाजीपुर सदर, वैशाली को पदस्थापन स्थल पर योगदान देने हेतु शीघ्र विरमित करेंगे।
4. राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, हाजीपुर सदर, वैशाली को निदेश दिया जाता है कि अपने वर्तमान पद पर प्रभार शीघ्र सौंप कर पदस्थापन स्थान पर शीघ्र योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
5. पूर्व की एतद सम्बन्धित कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
6. सुश्री रश्मि तिवारी का स्थानान्तरण उनके द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में किया गया है। अतः स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/स्था0 रा0अ0 हाजीपुर (स्थानान्तरण)-26/16-388(3)/रा0 पटना-15, दिनांक-02-09-16
प्रतिलिपि :-समाहर्ता, वैशाली/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण

निदेशालय/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित राजस्व अधिकारी/राजस्व अधिकारी-सह- प्रभारी अंचल अधिकारी, वैशाली सदर, वैशाली/ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/स्था0 रा0अ0 हाजीपुर (स्थानान्तरण)-26/16-388(3)/रा0 पटना-15, दिनांक-02-9-16
प्रतिलिपि :-अपर राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना के उनके पत्रांक- 329/आ0नि0को0,

दिनांक-14.06.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

फैक्स
ई-मेल